भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2344
गुरुवार, दिनांक 05 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर ऊर्जा क्षमता का आकलन</u>

2344. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः
श्री डी॰एम॰ कथीर आनन्दः
श्री एम॰वी॰वी॰ सत्यनारायणः
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः
श्री अदला प्रभाकर रेड्डीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विशेषकर से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, सौर ऊर्जा की क्षमता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान और आगामी तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में मेगावाट में अनुमानित रूप से सौर ऊर्जा से कितनी विद्युत उत्पादित होने की संभावना है;

(ग) सौर क्षेत्र के लिए गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा संवितरित राजसहायता की राशि कितनी है; और

(घ) शहरी क्षेत्रों, विशेषकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, सौर ऊर्जा के प्रचार और उपयोग के लिए राज्य सरकारों के सहयोग वाली केन्द्र सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) जो इस मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित देश में लगभग 750 गीगावाट की सौर विद्युत संभाव्यता का आकलन किया है। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सौर विद्युत संभाव्यता का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

राज्य	सौर विद्युत संभाव्यता (गीगावाट पीक)
आन्ध्र प्रदेश	38.44
तमिलनाडु	17.67

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में संस्थापित सौर विद्युत क्षमता का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

सरकार ने दिसम्बर, 2022 तक देश में 1,00,000 मेगावाट सौर क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य रखा है। दिनांक 31.01.2020 की स्थिति के अनुसार 34,035.63 मेगावाट की संचयी क्षमता संस्थापित की गई थी जिसके साथ 23,789 मेगावाट का कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों पर है और 29,467 मेगावाट बोली प्रक्रिया के अंतर्गत है। अधिकतर परियोजनाएं, जिनकी निविदाएं जारी की जा चुकी हैं, इंटर-स्टेट पारेषण आधारित हैं और इन्हें देश में किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। अतः आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों में स्थापित की जाने वाली किसी खास क्षमता का आकलन नहीं किया जा सकता।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सौर योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

वर्ष	कुल जारी निधियाँ (करोड़ रु. में)
2016-17	2590.59
2017-18	1889.93
2018-19	2524.65

(घ) सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा उसके उपयोग के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

i. 40,000 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजनाओं से अधिक का लक्ष्य रखते हुए सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सौर पार्क योजना।
ii. व्यवहार्यता अंतराल निधिकरण (वीजीएफ) के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) और भारत सरकार के संगठनों द्वारा ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए योजना।
iii. सेकी, जिसका पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1000 मेगावाट का अलग घटक है, के माध्यम से 5000 मेगावाट की ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वीजीएफ योजना।
iv. ग्रिड संबद्ध रूफटॉप कार्यक्रम का चरण-I और चरण-II
v. ऑफ-ग्रिड सौर पीवी योजनाएं अर्थात् सौर स्ट्रीट लाइट/पावर पैक, सौर स्टडी लैम्प, 70 लाख सौर स्टडी लैम्प के तहत सौर स्टडी लैम्प, अजय योजना के तहत सौर स्ट्रीट लाइट।
vi. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)।

अनुलग्नक

'सौर ऊर्जा क्षमता का आकलन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 05.03.2020 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2344 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान स्थापित की गई ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत क्षमता

(मेगावाट में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17 के दौरान जोड़ी गई क्षमता	2017-18 के दौरान जोड़ी गई क्षमता	2018-19 के दौरान जोड़ी गई क्षमता	31.01.2020 तक संस्थापित संचयी क्षमता
1	आन्ध्र प्रदेश	1294.26	328.24	890.22	3559.02
2	तमिलनाडु	630.01	213.65	666.65	3788.75
3	तेलंगाना	759.13	2004.27	300.84	3620.75

*****